

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 430 सन 2019

अनवान :-

1. हंसराज पुत्र चन्दुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मनप्रीत पुत्र छोटुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
2. भोलाराम पुत्र छोटुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. बहादुरराम पुत्र छोटुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. चानणराम पुत्र नारायण जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. इन्द्राज पुत्र चन्दुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. कृष्णलाल पुत्र चन्दुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. महादेव उर्फ सहदेव पुत्र चन्दुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. कलावती पत्नी चन्दुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. सावित्री पत्नी चौथुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. रामेश्वर पुत्र चौथुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. राजकुमार पुत्र चौथुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. जयसिंह पुत्र चौथुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. तुलछाराम पुत्र चौथुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
14. अनिल पुत्र गीता देवी जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
15. सुमन पुत्र गीतादेवी जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 20.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 43/43 की कुल 3.2890 हैक एवं रोही मौजा द्वाणी चारणान के खाता संख्या 203/41 की कुल 6.5830 हैक तथा रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 43/43 की कुल 3.2890 हैक भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाते वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने अपने अपने हक हिस्सा की भूमि का काश्त एवं सिचाई सुविधा एवं आवागमन के रास्ते का ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 को कई मर्तबा कहा की वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 सयुक्त खातेदार काश्तकार है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने अपने हक हिस्सा एवं काश्त की सुविधा का ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया हुआ है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी नोहर प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता

15 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 43/43 की कुल 3.2890हैक एवं रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 203/41 की कुल 6.5830हैक तथा रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 43/43 की कुल 3.2890हैक भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाते वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के नाम सयुक्त खाते में बतौर खातेदार काशतकार दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने काशत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने हक हिस्सा के अनुसार बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार काशत करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश कर निवेदन किया जा चुका है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 43/43 की कुल 3.2890हैक एवं रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 203/41 की कुल 6.5830हैक तथा रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 43/43 की कुल 3.2890हैक भूमि में से निम्नप्रकार से भूमि रहेगी।

1. कलावती पत्नी स्व चन्दुराम जाति माली निवासी नोहर - ढाणी चारणान के खसरा न0 57/1 की 1.0168हैक खसरा न0 80/1 की 0.5585हैक कुल 1.5751हैक बारानी प्रथम रोही मौजा चक 15 बारानी के प0न0 317/450(88) के किला न0 3/0.2530 4/0.0320 8-13/0.5060 कुल 0.7910हैक बारानी प्रथम रहन पीएनबी बैंक शाखा नोहर,
2. इन्द्राज , कृष्णलाल, सहदेव, हंसराज पि0 चन्दुराम जाति माली साकिन नोहर - ढाणी चारणान के खसरा न0 57/0.6778हैक खसरा न0 80/0.3723हैक कुल 1.0501हैक बारानी प्रथम व रोही मौजा चक 15 बारानी के प0न0 317/449(88) किला न0 23 ,24/0.5060हैक प0न0 317/450(88) किला न0 4/2 की 0.0190हैक कुल 0.5250हैक बारानी प्रथम
3. सावित्री देवी पत्नी चौथुराम , रामेश्वर राजकुमार जयसिंह तुलछाराम पि0 चौथुराम बहिब 5/6 हिस्सा अनिल सुमन पुत्र/पुत्री गीतादेवी बहिब 1/6 हिस्सा जाति माली साकिन नोहर रोही मौजा ढाणी चारणान के खसरा न0. 57/2 की 0.8472हैक खसरा न0 80/2 की 0.4654हैक कुल 1.3126हैक बारानी प्रथम रोही मौजा चक 15 बारानी के प0न0 317/450 (88) के किला न0 4/3 की 0.2020 ,5/0.2530 ,6/1/0.1010 ,7/1/0.1010 कुल 0.6570हैक बारानी प्रथम
4. मनप्रीत भोलाराम बहादुरराम पि0 छोटुराम बहिब जाति माली साकिन नोहर , ढाणी चारणान के खसरा न0 57/3 की 0.8472 हैक खसरा न0 80/3 की 0.4654 हैक कुल 1.3126हैक बारानी प्रथम रोही मौजा चक 15 बारानी के प0न0 317/450(88) किला न0 7/2 की 0.1520हैक , 14-17 /0.5060हैक बारानी प्रथम
5. चानणराम पुत्र नारायण जाति माली निवासी नोहर खातेदार- ढाणी चारणान के खसरा न0 57/4 की 0.8472हैक खसरा न0 80/4 की 0.4654हैक कुल 1.3126हैक बारानी प्रथम एव रोही मौजा चक 15 बारानी के प0न0 317/450(88) किला न0 6/2 की 0.1520हैक ,? 15-16/0.5060हैक कुल 0.6580हैक बारानी प्रथम रहन पीएनबी बैंक शाखा नोहर ।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट...चक सरदारपुरा.

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. हंसराज पुत्र चन्दुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 मनप्रीत पुत्र छोटुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
- 2 भोलाराम पुत्र छोटुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
- 3 बहादुरराम पुत्र छोटुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
- 4 चानणराम पुत्र नारायण जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
- 5 इन्द्राज पुत्र चन्दुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
- 6 कृष्णलाल पुत्र चन्दुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
- 7 महादेव उर्फ सहदेव पुत्र चन्दुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
- 8 कलावती पत्नी चन्दुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
- 9 सावित्री पत्नी चौथुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
- 10 रामेश्वर पुत्र चौथुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
- 11 राजकुमार पुत्र चौथुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
- 12 जयसिंह पुत्र चौथुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
- 13 तुलछाराम पुत्र चौथुराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
- 14 अनिल पुत्र गीता देवी जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
- 15 सुमन पुत्र गीतादेवी जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर।
- 16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 430 सन 2021 निर्णय दिनांक-20.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 43/43 की कुल 3.2890हैक एवं रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 203/41 की कुल 6.5830हैक तथा रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 43/43 की कुल 3.2890हैक भूमि में से निम्नप्रकार से भूमि रहेगी।

- 1 कलावती पत्नी स्व चन्दुराम जाति माली निवासी नोहर - ढाणी चारणान के खसरा न0 57/1 की 0.168हैक खसरा न0 80/1 की 0.5585हैक कुल 1.5751हैक बारानी प्रथम रोही मौजा चक 15 बारानी के प0न0 317/450(88) के किला न0 3/0.2530 4/0.0320 8-13/0.5060 कुल 0.7910हैक बारानी प्रथम रहन पीएनबी बैंक शाखा नोहर
- 2 इन्द्राज, कृष्णलाल, सहदेव, हंसराज पि0 चन्दुराम जाति माली साकिन नोहर - ढाणी चारणान के खसरा न0 57/0.6778हैक खसरा न0 80/0.3723हैक कुल 1.0501हैक बारानी प्रथम व रोही मौजा चक 15 बारानी के प0न0 317/449(88) किला न0 23,24/0.5060हैक प0न0 317/450(88) किला न0 4/2 की 0.0190हैक कुल 0.5250हैक बारानी प्रथम
- 3 सावित्री देवी पत्नी चौथुराम, रामेश्वर राजकुमार जयसिंह तुलछाराम पि0 चौथुराम बहिब 5/6 हिस्सा अनिल सुमन पुत्र/पुत्री गीतादेवी बहिब 1/6 हिस्सा जाति माली साकिन नोहर रोही मौजा ढाणी चारणान के खसरा न0. 57/2 की 0.8472हैक खसरा न0 80/2 की 0.4654हैक कुल 1.3126हैक बारानी प्रथम रोही मौजा चक 15 बारानी के प0न0 317/450 (88) के किला न0 4/3 की 0.2020,5/0.2530,6/1/0.1010,7/1/0.1010 कुल 0.6570हैक बारानी प्रथम
- 4 मनप्रीत भोलाराम बहादुरराम पि0 छोटुराम बहिब जाति माली साकिन नोहर, ढाणी चारणान के खसरा न0 57/3 की 0.8472 हैक खसरा न0 80/3 की 0.4654 हैक कुल 1.3126हैक बारानी प्रथम रोही मौजा चक 15 बारानी के प0न0 317/450(88) किला न0 7/2 की 0.1520हैक, 14-17 /0.5060हैक बारानी प्रथम
- 5 चानणराम पुत्र नारायण जाति माली निवासी नोहर खातेदार- ढाणी चारणान के खसरा न0 57/4 की 0.8472हैक खसरा न0 80/4 की 0.4654हैक कुल 1.3126हैक बारानी प्रथम एव रोही मौजा चक 15 बारानी के प0न0 317/450(88) किला न0 6/2 की 0.1520हैक, 15-16/0.5060हैक कुल 0.6580हैक बारानी प्रथम रहन पीएनबी बैंक शाखा नोहर।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट...चक सरदारपुरा